न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 74 / 2025 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025 / 109

उनवान

1. श्री नन्दलाल पिता शंकरलाल भोई उम्र बालिग निवासी तुलसी विहार कॉलानी सलूम्बर जिला सलूम्बर(राज.)।
2. श्री जगदीश पिता शंकरलाल भोई उम्र बालिग निवासी तुलसी विहार कॉलानी सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
3. श्रीमती तारा पुत्री शंकरलाल भोई पत्नी गणेशलाल उम्र बालिग निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)।
4. श्रीमती काली पुत्री स्व. भैरा भोई पत्नी रणछोड उम्र बालिग निवासी लोहारीया जिला बांसवाडा (राज.)।
5. श्रीमती पार्वती पुत्री स्व. भैरा भोई पत्नी स्व. रमेश उम्र बालिग निवासी सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
6. श्रीमती भैरी पत्नी स्व. भैरा भोई उम्र बालिग निवासी सलूम्बर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती कमला पत्नी डुंगरलाल भोई उम्र बालिग निवासी तुलसी विहार कॉलानी सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्रीमती भगवती देवी पत्नी महेन्द्र भोई उम्र बालिग निवासी सोनार माता रोड भोईवाडा सलूम्बर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
3. श्री शम्भू पिता धुलाजी भोई उम्र बालिग निवासी सोनार माता रोड भोईवाडा सलूम्बर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः– 03/09/2025

उपस्थितिः श्री दिनेश कुमार जैन अधिवक्ता–प्रार्थीगण
श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता– विपक्षीगण

प्राथीगण ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 सी पी सी का प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण की भूमि मौजा सलूम्बर तहसील सलूम्बर में संयुक्त स्वामीत्व कि भूमि स्थित है जो आराजी नम्बर 873, 874, 880, 881 में स्थित है, जिसके पडौस में विपक्षीगण कि भूमि आराजी नम्बर 1809 / 879, 1810 / 879, 1811 / 879, 1812 / 879 में स्थित है जो विपक्षीगण ने नगरपालिका सलूम्बर से आबादी करावा दी है।

विपक्षीगण की भूमि नियमानुसार आबादी की गई जिसमें से उनकी आराजी में से पश्चीमी दिशा में आर्शिवाद गार्डन से जो नया बाईपास रास्ता निकला है, उसमें उनके

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

आराजी की भूमि गई है, तथा नगरपालिका द्वारा नियमानुसार सडक के मध्य बिन्दु से 30 फिट रास्ता छोडकर विपक्षीगण को आबादी का पट्टा जारी किया गया है।

विपक्षीगण को प्राप्त पट्टे की भूमि के पडौस में हम प्रार्थीगण की भूमि स्थित है, मेरी भूमि में से करीब 2 दो फिट भूमि पर विपक्षीगण ने अवैध कब्जा करने की नियत से नीव खोद दी तथा अधिक मजदुर व कारिगर लगाकर तेज गति से अवैध निर्माण कार्य चालु कर दिया है, उक्त अवैध निर्माण कार्य मेरी भूमि पर किया जा रहा है जिसे रूकवाना व तुड़वाना आवश्यक है, वर्ना हम प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी जिसका रूप्यो में मुल्यांकन किया जाना मुश्किल है इसलिये यह स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा के वाद के साथ उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण का मामला प्रथम दृष्टया है सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है तथा अपुर्णिय क्षति होने का भय भी प्रार्थीगण को है इसलिये विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फमरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या 2 मे वर्णित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 873, 874, 880, 881 की कृषि भूमि में विपक्षीगण प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न ही कोई कच्चा अथवा पक्का निर्माण कार्य करे, और ना ही किसी भी प्रकार से प्रार्थी को उसकी भूमि या हिस्से से बेदखल करे और ना ही उक्त कृत्य अपने नौकर, परिजनों या एजेन्ट से करवाये।

प्रार्थना पत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण मे प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना जाकर प्रकरण मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तथा विपक्षीगण को तलवी हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश प्रजापत हाजिर आये जिन्होने विपक्षीगण की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति के साथ जवाब पेश किया। विपक्षीगण ने प्रारम्भिक आपत्तिय मे अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मिथ्या एवं असत्य आधार पर प्रस्तुत होने से पूर्णतया अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने अपने वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नम्बर 1809/879, 1810/879, 1811/879, 1812/879 को स्वयं विपक्षीगण द्वारा नगरपालिका सलूम्बर द्वारा आबादी करवाने का जो कथन किया है वह प्रार्थीगण की स्वीकारोक्ति को दर्शाता है, और विपक्षीगण को शेष कृषि भूमि से कोई सरोकार नहीं है व नहीं कोई निर्माण विपक्षीगण ने वादी की कृषि भूमि में किया है, जिससे आबादी भूमि होने से धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत श्रीमान् न्यायालय को उपरोक्त भूमि का श्रवणाधिकार नहीं है, इसलिये भी वाद हेतुक के अभाव में उक्त वाद पोषनीय नही है।

तद्पश्चता जवाब पेश करते हुए अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की विपक्षीगण द्वारा सक्षम प्राधिकारी नगरपरिषद् से विपक्षी संख्या 1 से 3 ने क्रमशः आराजी नम्बर 1809/879 रकबा 0.0380 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1810/879 रकबा 0.0400 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 1811/879 रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि का पट्टा प्राप्त हुआ है और पट्टे के अनुसार उक्त आबादी भूमि विपक्षीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि होकर वो उसके उपयोग, उपभोग हेतु स्वतंत्र होकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर स्वीकृति नक्शे के अनुसार अपना सैटबैक इत्यादी छोडकर निर्माण कार्य कर रहा है, जिससे भी वादी की कृषि भूमि से विपक्षीगण का कोई सरोकार नहीं है व विपक्षीगण की भूमि आबादी होने से प्रार्थीगण विपक्षीगण से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 में वर्णित तथ्य मिथ्या एंव असत्य आधार पर प्रस्तुत होने से पूर्णतया अस्वीकार है जबकि वाधी शुरू से विरोधाभाषी

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कथन करते हुये आया है कि विपक्षीगण के प्रार्थीगण पडौसी है और दुसरी तरफ की विपक्षीगण ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी कृषि भूमि को आबादी में भू–रूपान्तरण करवाया है जो कि प्रार्थीगण की स्वीकारोक्ति को सिद्ध करती है, इसी अनुसार विपक्षीगण संख्या 1 द्वारा मौके पर लिखित कथन प्रस्तुत करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करवाया है व न ही कोई नींव मौके खोदी है, केवल मात्र झुठे प्रकरण में ईष्या व कुंठा भाव से विपक्षीगण को परेशान करने की बदनियति से उक्त वाद प्रस्तुत किया है व शेष विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की आबादी भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्माण स्वीकृति प्रापत कर नियमानुसार जारी नक्शे के अनुसार सैटबैक इत्यादी छोडकर निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि को पूर्णतया छोडकर किया जा रहा है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की आड में विपक्षीगण की आबादी भूमि जो कि नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की गई है, उसे बेवजह परेशान कर उसके निमाण कार्य रूकवाना चाहते हैं जो विधि सम्मत नहीं है व नहीं धारा 207 के अनुसार श्रवणाधिकार की श्रेणी में नहीं आता है।

विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण व दखलन्दाजी नही किया गया है प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की आड में विपक्षीगण की आबादी भूमि जो कि नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की गई है। उसे बेवजह परेशान कर उसके निर्माण कार्य रुकवाना चाहते है जो विधि सम्मत नहीं है। विपक्षीगण द्वारा पूर्व में उक्त कृषि भूमि का सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार भू–रूपान्तरण करवा कर आबादी में रूपान्तरित करवाया (आराजी नम्बर 1809/879, 1810/879, 1811/879, 1812/879) व उसके बाद नियमानुसार निर्माण स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर स्वीकृत नक्शे अनुसार सैटबैक छोडकर निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें कोई विधिक त्रुटी नहीं की गई है व मौके पर भारी बहुमुल्य निर्माण सामग्री (रेत, सीमेंट, लोहे के सरिये, पत्थर ईंटे) विपक्षीगण की पडी हुई है, जो वर्षा से खराब होने की प्रबल सभावना है व सुरक्षा के उपयोग हेतु चौकीदार भी लगा रखा है इसलिये प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा सन्तुलन विपक्षीगण के पक्ष में है और यदि विपक्षीगण जिसने सारा कार्य नियमानुसार व विधि सम्मत किया है यदि उसे निर्माण से रोका जाता है तो विपक्षीगण को ऐसी अपुरणियक्षति होगी जिसे रूपये पैसो में आंकना संभव नहीं है जबकि इसके ठीक उल्टा प्रार्थीगण को कोई ऐसी क्षति नहीं हो रही है केवल मात्र विपक्षीगण को ईष्यावश परेशान करने की बदनियत्ति से उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र असत्य एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने व वादहेतुक के अभाव में सव्यय खारिज फरमाया जाये।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण ने बहस मे अपने जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण ने विवादग्रस्त आराजीयात पर कोई अतिक्रमण नही किया है न ही कोई दखलन्दाजी कर रहे है केवल मात्र हम विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षीगण ने लिखित मे अण्डरटैकिंग देते हुए अंकित किया कि उक्त उनवानी प्रकरण मे विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही किया गया है व विपक्षीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि को आबादी करवाकर 1809/879, 1810/879, 1811/879, 1812/879 आराजी जो प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 मे जो वर्णित किया है, उसी मे ही निर्माण कार्य स्वीकृति लेकर की जा रही है। विपक्षीगण द्वारा यदि प्रार्थीगण की कृषि

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

भूमि मे कोई निर्माण इत्यादी कर दिया जाता है तो वह सव्यय उसे तुडवाने हेतु तत्पर है व वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई कार्य नही करने हेतु भी तत्पर है। अतः श्रीमान् न्यायालय से निवेदन है कि उक्त अण्डरटेंकिग स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षीगण को उसकी भूमि में निर्माण करने की राहत प्रदान करें।

बहस मनन की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित मौजा सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 आराजी नम्बर 873, 874, 880, 881 की कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की होकर राजस्व रेकॉर्ड मे नाम दर्ज अंकित है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में प्रार्थीगण के पडौस मे स्थित विपक्षीगण की आरजी नम्बर 1809 / 879, 1810 / 879, 1811 / 879, 1812 / 879 नगरपालिका सलूम्बर से नियमानुसार आबादी किये जाने की स्वीकारोक्ती देते हुए विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे 2 फिट अवैध कब्जा व निर्माण करने का कथन किया है। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रार्थीगण के इस कथन की पुष्टी नही होती है कि विपक्षीगण ने प्रार्थीगण की भूमि में अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया हो। ना ही प्रार्थीगण अपने समर्थन मे कोई पत्थरगढी रिपोर्ट अथवा अन्य कोई रिपोर्ट पेश की है जिससे प्रार्थीगण के कथनो का बल मिले। विपक्षीगण ने अपने जवाब एवं अण्डरटेंकिग मे यह अंकित किया है कि विपक्षीगण प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही किया गया है व विपक्षीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि को आबादी करवाकर 1809 / 879, 1810 / 879, 1811 / 879, 1812 / 879 आराजी जो प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 मे जो वर्णित किया है, उसी मे ही निर्माण कार्य स्वीकृति लेकर की जा रही है। विपक्षीगण द्वारा यदि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे कोई निर्माण इत्यादी कर दिया जाता है तो वह सव्यय उसे तुडवाने हेतु तत्पर है व वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई कार्य नही करने हेतु भी तत्पर है।

यह निर्विवादीत तथ्य है कि विपक्षीगण की आरजी नम्बर 1809 / 879, 1810 / 879, 1811 / 879, 1812 / 879 नगरपालिका सलूम्बर से नियमानुसार आबादी की गई है जिसकी स्वीकारोक्ती प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे दी है, उक्त आबादी सुदा भूमि के पट्टे जो विपक्षीगण को प्राप्त हुए है उसके उपयोग उपभोग हेतु विपक्षीगण स्वतन्त्र है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की कृषि भूमि में माफिक अण्डरटैकिंग किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे एवं माफिक अण्डरटैकिंग मूलवाद के निस्तारण तक पांबद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले दिनांक 03/09/25 को न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)